कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0— सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)

Tel:- 01382-222457
Fax:- 01382-222847
E-mail Id:- eepmgsykotdwara@rediffmail.com

पंत्राक 217 / पी0एम0जी0एस0वाई0— सिंचाई खण्ड

दि0 30/03/2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग
लैन्सडौन

विषयः— प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल में मस्टखाल से सीलाडांडा मोटर मार्ग के नवीनीकरण हेतु (5.450 कि0मी0) हेतु 2.275 है0 वनभूमि ऑनलाईन प्रस्ताव सं0 (FP/UK/ROAD/11139/2015)

संदर्भः— भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0 08बी0/यू0सी0पी0/06/15/2019/एफ0सी0/~~245~~ दिनॉक ~~04.06.2020~~ 9/10/2019

महोदय, सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/15/2019/F.C/1517 245/दिनांक 04/6/2020

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग पर भारत सरकार के द्वारा 2 बिन्दुओ पर आपत्तियॉ के निस्तारण निम्नवत है।

क0 सं0	आपत्ति	सैदान्तिक स्वीकृति की शर्ते	निस्तारण
1	In Compliance to condition no. 01 & 02, documents in support of mutation and transfer of CS land earmarked for CA in favour of forest department have not been submitted. Moreover, no action appears to have been initiated for declaration of proposed CA area as RF/PF so far. Which is required to be done prior to final approval.	बिन्दु सं0:—1 वन विभाग द्वारा प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि के दुगुने वन भूमि पर अर्थात 4.550 है0 ग्राम — सीलाडांडा सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरो को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत प्रदान की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन के पत्रॉक 766/12—1 दिनॉक लैन्सडौन 07.11.2019 के द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 1394716.00 एंव एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 1922375.00 अर्थात कुल 3317091.00 को भारत सरकार के कैम्प में ऑनलाईन जमा कर दिया गया है। (संलग्न :— ऑनलाईन वैबसाईड की छायाप्रति।)
		बिन्दु सं0:—2 Guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वनविभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम सीलाडांडा की भूमि को प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन के द्वारा आरक्षित /संरक्षित वन घोषित किया जाना है।

[illegible]
अधिशासी अभियन्ता
पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0
सिंचाई खण्ड कोटद्वार(गढवाल)
[illegible]

PHOTO COPY ATTESTED
[illegible]
ASSISTANT ENGINEER
O P W D KOTDWARA

पी0एम0जी0... अभियन्ता,

	State Government may submit documents/undertaking in compliance to condition no. 06 & 07 of in-principle approval.	सडक निर्माण कार्य के पश्चात् जहॉ–जहॉ संभव हो सडक के दोनो किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जायेगी। इस आशय की वचन बद्वता प्रेषित करनी होगी।	संलग्न है।
		राज्य सरकार Geologist report एवं डी0एफ0ओ0 द्वारा प्रमाणित संयुक्त निरीक्षण की मूल प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करे।	संलग्न है।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

पत्रांक 217 / पी0एम0जी0एस0वाई0– सिंचाई खण्ड तद्दिनांक....................

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी गढवाल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्द्रानगर फारेस्ट कॉलोनी, देहरादून, को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार(पौडी गढवाल)

PHOTO COPY ATTESTED
ASSISTANT ENGINEER
... KOTDWARA

परियोजना का नामः— प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल में मस्टखाल से शीलाडांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (5.450 कि0मी0) हेतु 2.275 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

एन0पी0वी0 जमा कराये जाने/वचन बद्वता का प्रमाण

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना में एन0पी0वी0 की देय धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोत्तरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढी हुई धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग की मॉग के अनुसार किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0— सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0— सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)

PHOTO COPY ATTESTED
ASSISTANT ENGINEER
L D 9 D KOTDWARA

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0–सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढ़वाल)।

Phone : 01382- 224570
Phone : 01382- 229847
Fax : 01382- 229847
Email:eepmgsykotdwara@rediffmail.com

परियोजना का नामः– जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मस्टखाल से शीलाडांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (5.450 कि0मी0) हेतु 2.275 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

बचन वद्वता प्रमाण पत्र

जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत में मस्टखाल से शीलाडांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (2.275 है0) सिविल वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण में सडक निर्माण के पश्चात् जहॉ जहॉ सम्भव होगा के दोनो किनारो तथा Central Verge पर Strip Plantation की जायेगी।

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0– सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0– सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)

PHOTO COPY ATTESTED
ASSISTANT ENGINEER
I.D. P.W.D. KOTDWARA

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0– सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)

Tel- 01382-2224570
Fax- 01382-2228847
E-mail Id- eepmgsykotdwara@rediffmail.com

पंत्राक 1190 / दि0 16/01/2020

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
भूमि संरक्षण, वन प्रभाग
लैन्सडौन

विषय :– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल में मस्टखाल से शीलाडांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (5.450 कि0मी0) हेतु 2.275 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0 08बी0/यू0सी0पी0/06/15/2019/एफ0सी0/1517 दिनॉक 09.10.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मस्टखाल से शीलाडांडा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.275 है0 सिविल वन भूमि की सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। सैद्वान्तिक स्वीकृत में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन बिन्दुवार निम्न प्रकार है।

कम सं0	अधिरोपित शर्त	अनुपालन
1	वन विभाग द्वारा प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि के दुगुने वन भूमि पर अर्थात 4.550 है0 ग्राम – सीलाडांडा सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरो को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत प्रदान की जायेगी।	दिनॉक 10.12.2019 को जमा करवा दी गयी है। तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जा चुका है। (प्रति संलग्न)
2	**Guideline para 2.4 (*i*)** के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वनविभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	वनविभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित उच्च स्तर से किया जाना है।
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007– एफ0सी0 दिनॉक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	दिनॉक 10.12.2019 को जमा करवा दी गयी है। (प्रति संलग्न)
4	शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोकता अभिकरण द्वारा वचन बद्वता प्रस्तुत की जाए।	मान्य है। प्रपत्र संलग्न
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (**CA cost, NPV etc**) को वैब पोर्टल पर **Online Generate** किये गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	ऑन लाईन चालान जनरेट कर खाते मे जमा करवा दिया गया है। परिवेश बेबसाईट से प्राप्त भुगतान विवरण की प्रति संलग्न।
6	सडक निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् जहॉ–जहॉ सभंव हो सडक के दोनो किनारों तथा **Central Verge** पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में **strip plantation** की जायेगी। इस आशय की वचन बद्वता प्रेषित करनी होगी।	मान्य है। अनुपालन किया जायेगा।
7	राज्य सरकार **Geologist report** एवं डी0एफ0ओ0 द्वारा प्रमाणित संयुक्त निरीक्षण की मूल प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करे।	मान्य है।
	विधिवत स्वीकृति हेतु अन्य आवश्यक शर्तो का अनुपालन	
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।	मान्य है।
2	एन0पी0बी0 की दरों में अगर बढोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी दरों पर एन0पी0बी0 देने के लिए बाध्य होगा।	मान्य है।
3	प्रयोक्ता अभिकरण हेतु चयनित 4.550 है0 ग्राम– सीलाडांडा सिविल एवं सोयम	मान्य है।

	भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।	
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	मान्य है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर०सी०सी० पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर **Forward** एवं **Back bearing** अंकित किया जायेगा।	मान्य है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।	मान्य है।
7	परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव – जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।	मान्य है।
8	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये प्रयोजन के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना **Transfer** नही किया जायेगा।	मान्य है।
9	कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जायेगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 61 पेडो से अधिक न हो।	मान्य है।
10	सडक निर्माण के पश्चात् जहाँ–जहाँ समंव हो सडक के दोनों किनारों तथा **Central Verge** पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में **strip plantation** की जायेगी।	मान्य है।
11	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।	मान्य है।
12	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमित लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। यदि विधिवत स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोजनक अनुपालन नही किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।	मान्य है।

अतः आपके संज्ञान में लाना है कि उक्त मोटर मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु आवश्यक सैदान्तिक स्वीकृति में अधोरोपित सभी शर्तो का अनुपालन विभाग द्वारा किया जा चुका है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मोटर मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु अपने स्तर से उच्चाधिकारियों को सूचित करने का कष्ट करे एवं मोटर मार्ग पर स्थित पेडो के छपान एवं कटान की कार्यवाही अपने स्तर से करवाने का कष्ट करे। जिससे मोटर मार्ग का निर्माण शीध्र प्रारम्भ कराया जा सके।

संलग्नः– 1. भुगतान की प्रति
2. उपरोक्तानुसार प्रपत्र।

(राजेश कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
दि0..................

पत्रांक 1190/ वनभूमि
निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– 1.– अपर प्रमुख वनसंरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी,उत्तराखण्ड देहरादून।
2. वन संरक्षक शिवालिक वृत्त उत्तराखण्ड देहरादून।
3. जिलाधिकारी पौडी गढवाल।
4. सहायक अभियन्ता – षष्ठ्म सिंचाई खण्ड पी0एम0जी0एस0वाई0 कोटद्वार सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0– सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)

।। कार्यालय जिलाधिकारी गढवाल ।।

E-Mail ID dmgarhwal@gmail.com /PHONE- 01368-222250/Fax: 222080

संख्याः 1514/26–प्रशा०अधि०(सा०प्रशा०)/2018, दिनांक पौड़ी ~~मई~~ जून 2 ,2018

"आदेश"

तहसीलदार लैन्सडौन ने अपने पत्र संख्या: 242/र०का०–2018 दिनांक 05.05.2018 के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रस्तावित मोटर मार्ग मरटखाल से सीलाडांडा के नव निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम सीला डांडा पट्टी लंगूरवल्ला के नॉन जेड०ए० खतौनी के वर्तमान खतौनी खाता सं० 7 के खसरा नं० 934 रकवा 8.043 है० मध्ये 4.550 है० श्रेणी 9(3)ख झाड़ी दर्ज अभिलेख भूमि चयनित कर प्रस्तावित की गयी है। प्रस्तावित भूमि मे कोई चारागाह, पनघट, मन्दिर, मस्जिद, कब्रस्तान, शमशानघाट आदि सार्वजनिक उपयोग की नही है।

2. शासनादेश संख्याः 2173/XVII (2)/2012–18 (120)2010 दिनांक 17.12.2012 के द्वारा विभिन्न सरकारी योजना के लिए क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 20,000 है० सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में नियमानुसार हस्तान्तरित किये जाने का प्राधिकारी जिलाधिकारी को प्रतिनिधायित किया गया है।

अतः प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में मरटखाल से सीलाडांडा के नव निर्माण के लिए तहसीलदार लैन्सडौन की आख्या एवं उक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशानुसार ग्राम सीला डांडा पट्टी लंगूरवल्ला के नॉन जेड०ए० खतौनी के वर्तमान खतौनी खाता सं० 7 के खसरा नं० 934 रकवा 8.043 है० मध्ये 4.550 है० श्रेणी 9(3)ख झाड़ी दर्ज अभिलेख भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उपजिलाधिकारी/तहसीलदार लैन्सडौन तदनुसार अभिलेखों में अमलदरामद की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(सुशील कुमार)
जिलाधिकारी,गढवाल।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– सचिव,राजस्व अनुभाग,उत्तराखण्ड शासन,देहरादून।
2– आयुक्त,गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3– नोडल अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी,गढ़वाल वन प्रभाग,पौड़ी।
4– अधिशासी अभियन्ता,पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड,कोटद्वार।
5– उपजिलाधिकारी/तहसीलदार,लैन्सडौन।

(सुशील कुमार)
जिलाधिकारी,गढवाल।

उद्धरण खसरा

ग्राम ......सीला झांडा...................पट्टी....लंगूर वल्ला.....तहसील -लैन्सडाउन , परगना....गं०गा० सलाण....जिला पौड़ी गढ़वाल

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
934	8.034 [illegible] 4.550	7	उत्तराखण्ड सरकार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	कायम	8.034 [illegible] 4.550		

प्रतिलिपि हस्ताक्षर

[signature]

तैयार किया।

[signature] 13/3/18

(एन०एस० रावत)
राजस्व उप निरीक्षक
पट्टी-लंगूर-वल्ला-I
तहसील-लैन्सडौन
जिला- पौड़ी गढ़वाल

नियम - 44

...क खतौनी (मुनखिब) ग्राम खिल्ला डांडा पट्टी लंगूर वल्ला परगना गंगा सलाण तहसील लैन्सडौन जिला पौड़ी गढ़वाल

फांट खाता नम्बर	मुनखिब (खतौनी) खाता की क्र.सं.	खातेदार या काबिज का नाम पितृनाम तथा निवास स्थान	मुद्दत काश्त या कब्जा	हाल खसरा नम्बर	क्षेत्रफल नाली मुट्ठी में	नाम तोल	गैर मजरूआ शामिल जोत	मालगुजारी अथवा लगान (यदि मिरतान हो)	ग्रोथ	मालिकाना	थोकदारी या मालगुजारी	किस्म जमीन: तालाब	अव्वल	दोयम	इजरान	कटील	कुल रकबा	विवरण: कानूनी	गैर कानूनी	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7	काडा	कोविल ई (3) रव 934 B.043 कैलाश/6 अकेले 4.550				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—

प्रमाणित प्रतिलिपि

(हस्ताक्षर) UDM

तैयार किया / (हस्ताक्षर) 15/3/18
(एन०एस० रावत)
राजस्व उप निरीक्षक
पट्टी लंगूर वल्ला-I
तहसील-लैन्सडौन
जिला- पौड़ी गढ़वाल

नकल रेखा

विषय - मस्टखाल से सीला डांडा मोटर मार्ग के नव निर्माण क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल के सम्बन्ध में।

ग्राम - सीला डांडा पट्टी लंगूर वल्ला तहसील - लैंसडौन जनपद - पौड़ी गढ़वाल

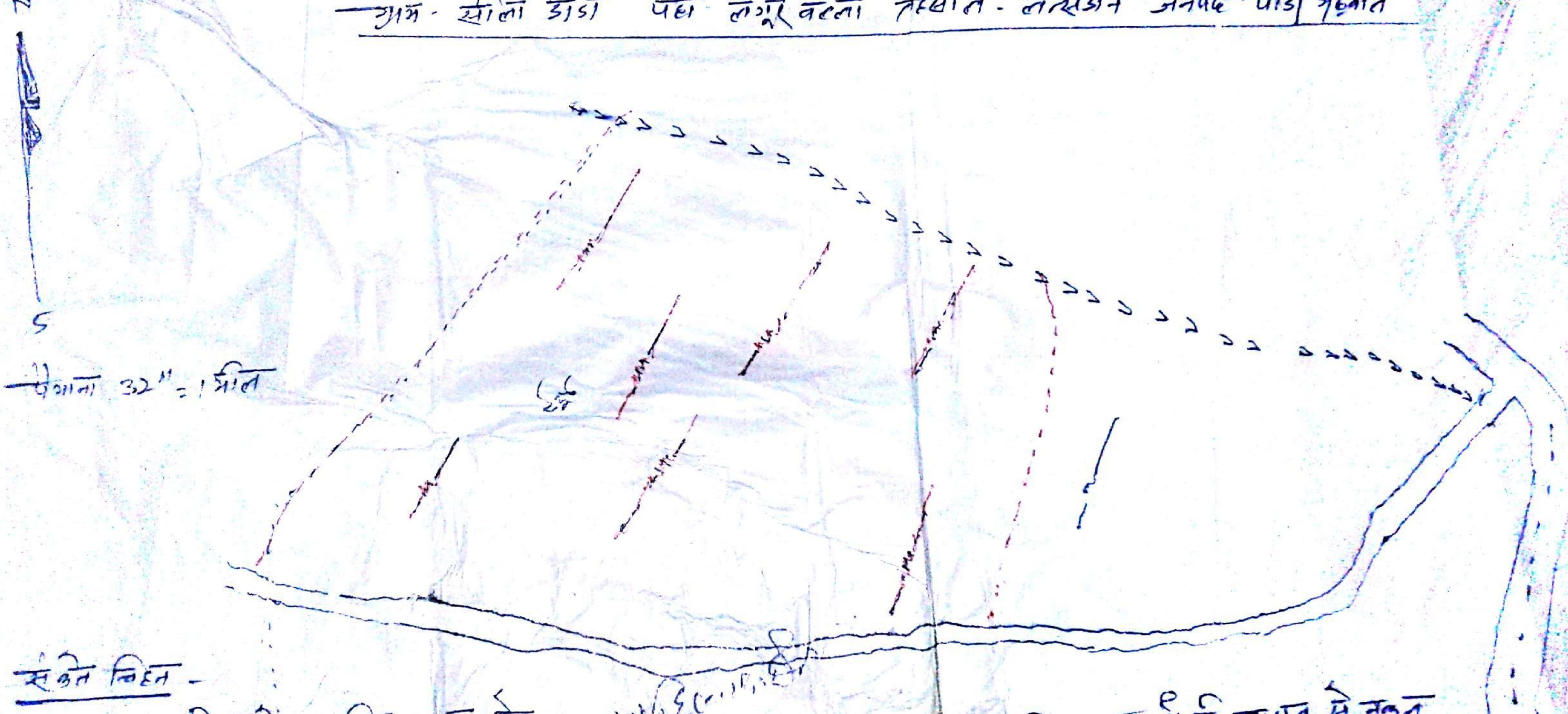

संकेत चिह्न -

—·— वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल को लाल रेखनाओं से दिखाया गया है।

प्रमाणित किया जाता है कि असल से नकल नक्शा किया गया है।

(एन०एस० रावत)
राजस्व उप निरीक्षक
पट्टी [illegible] वल्ला
तहसील- लैंसडौन
जिला- पौड़ी गढ़वाल

NON ZA खतौनी उद्धरण

ग्राम - सीलाडांडा पट्टी - लंगूर वल्ला - I रा०नि०क्षे० - सिलोगी तह० लैन्सडौन गढ़वाल

1	2	3	4	5	6	7	21 तक
	07	झाड़ी		934	41211।।≡ / 8.043	श्वेतापूठ	तहसीलदार लैन्सडौन के आदेश दि० 05.05.2018 एवं कार्यालय जिलाधिकारी गढ़वाल आदेश सं० 1814/26-प्रशा० अधि० (सा० प्रशा०)/2018, दि० पौड़ी जून 2, 2018 आदेश - जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग मस्टखाल से सीलाडांडा के नव निर्माण हेतु उपजिलाधिकारी लैन्सडौन की आख्या एवं संस्तुत्यादेश में दिये गये निर्देशानुसार ग्राम - सीलाडांडा पट्टी - लंगूर वल्ला - I तह० लैन्सडौन की नॉन जे०ड०ए० खतौनी खाता सं० 07 के खसरा नम्बर 934 रकबा 8.043 है० मध्य 4.550 है० कुल रकबा 4.550 है० भूमि श्रेणी 9(3) ख में उत्तराखण्ड सरकार के नाम झाड़ी दर्ज है। भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। हस्ताक्षर सुशील कुमार जिला अधिकारी गढ़वाल
					41211।।≡		

नकल असल से की गयी है।

A. Singh
28/11/19

नरेन्द्र सिंह
राजस्व उप निरीक्षक I/C
पट्टी... सि० ह०... 2
तहसील... लैन्सडौन
जिला - पौड़ी गढ़वाल

परियोजना का नामः प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में मस्टखाल शीलाडांडा मोटर मार्ग (5.450 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वनभूमि हस्तानान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण मे उपयुक्त सिविल राज्य भूमि का वन विभाग को हस्तानान्तरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में मस्टखाल शीलाडांडा मोटर मार्ग के (5.450 कि0मी0) मे क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 4.552 हे0 ग्राम शीला डांडा, पट्टी लंगूर वल्ला–1, तहसील लैन्सडौन, जिला पौडी गढ़वाल की राज्य सिविल भूमि को विधिवत् रुप से वन विभाग को हस्तानान्तरित किया जायेगा। यह भूमि स्थल विशिष्ठ है।

राजस्व उपनिरीक्षक लंगूर वल्ला–1 KANTA PRASAD REVENUE SUB INS PATTI L.W.I. TEHSIL GARHWAL	तहसीलदार लैन्सडौन तहसीलदार लैन्सडौन	उपजिलाधिकारी लैन्सडौन एस० डी० एम० लैन्सडौन (गढ़वाल)	जिलाधिकारी (पौडी गढ़वाल) जिलाधिकारी पौड़ी

H:\MANOJ PANWAR\M(AMIN).DOC

डिजिटल मानचित्र – जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम संडक योजना के अन्तर्गत मस्टखाल से शीला डाडा मोटर मार्ग (लम्बाई 5.450 किमी0) के निमार्ण हेतु प्रस्तावित क्षतिपूरकवृक्षारोपण स्थल शीला डाडा सिविल सोयम क्षे0– 4.550 है0

0 0.5 1 1.5 Km (2.275×2) = 4.550 हे0

Legend

- Proposed CA Land
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary
- Forest Division Boundary

जिलाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैंसडौन

वन क्षेत्राधिकारी
चैलूसैंण रेंज

सहायक अभियंता VI
पी०एम०जी०एस०वाई०सि०ख०
कोटद्वार (गढ़वाल)

(JE)

(एन०एस० रावत)
राजस्व उप निरीक्षक
पट्टी... लंगूर वल्ला
तहसील-लैंसडौन
जिला पौड़ी गढ़वाल

Executive Engineer
P.M.G.S.Y.I.D.
Kotdwara-Pauri Garhwal

उप प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि सरक्षण वन प्रभाग
लैंसडौन (गढ़वाल)

उप जिलाधिकारी
लैंसडौन (गढ़वाल)

जियो रेफरेंस मैप जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत मास्टखाल से शीला डाडा मोटर मार्ग के नव निर्माण (5.450 कि0मी0), के नव निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल शीला डाडा सिविल सोयम क्षे0–4.550है0

(2.275×2) = 4.550 है0

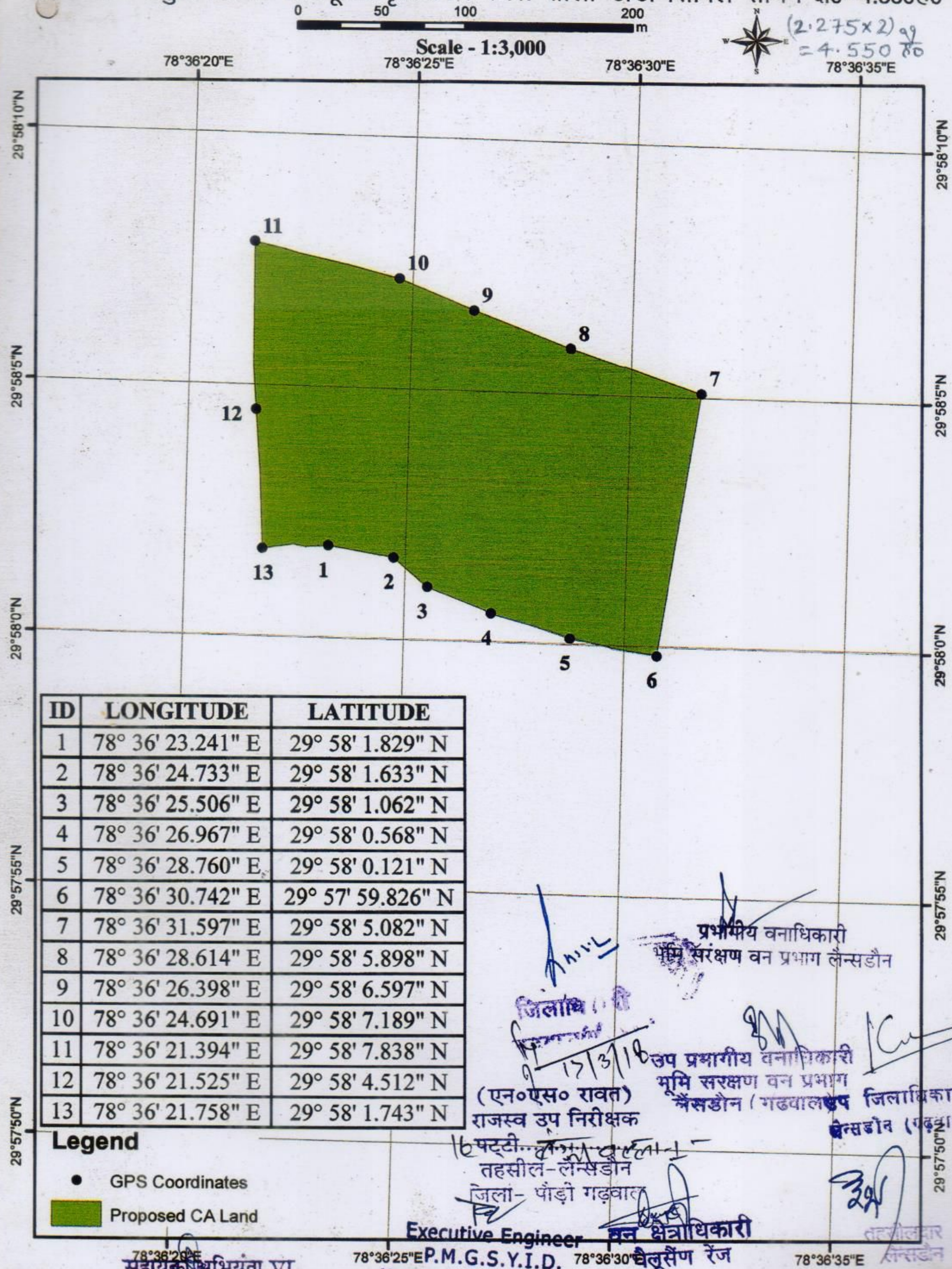

ID	LONGITUDE	LATITUDE
1	78° 36' 23.241" E	29° 58' 1.829" N
2	78° 36' 24.733" E	29° 58' 1.633" N
3	78° 36' 25.506" E	29° 58' 1.062" N
4	78° 36' 26.967" E	29° 58' 0.568" N
5	78° 36' 28.760" E	29° 58' 0.121" N
6	78° 36' 30.742" E	29° 57' 59.826" N
7	78° 36' 31.597" E	29° 58' 5.082" N
8	78° 36' 28.614" E	29° 58' 5.898" N
9	78° 36' 26.398" E	29° 58' 6.597" N
10	78° 36' 24.691" E	29° 58' 7.189" N
11	78° 36' 21.394" E	29° 58' 7.838" N
12	78° 36' 21.525" E	29° 58' 4.512" N
13	78° 36' 21.758" E	29° 58' 1.743" N

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन

जिलाधिकारी

17/3/18

उप प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि सरक्षण वन प्रभाग
लैंसडौन (गढ़वाल)

उप जिलाधिकारी
लैंसडौन (गढ़वाल)

(एन०एस० रावत)
राजस्व उप निरीक्षक
16 पट्टी
तहसील-लैंसडौन
जिला- पौड़ी गढ़वाल

Executive Engineer
P.M.G.S.Y.I.D.
Kotdwara-Pauri Garhwal

वन क्षेत्राधिकारी
दीवूसैंण रेंज

तहसीलदार
लैंसडौन

सहायक अभियंता VI
पा०एम०जी०एस०वाई०सि०ख०
कोटद्वार (गढ़वाल)

(JE)

बचनवद्धता प्रमाण पत्र

जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत में मस्टखाल से शीलाडांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.275 है0 सिविल वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण में सडक निर्माण के पश्चात् जहॉ जहॉ सम्भव होगा के दोनो किनारो तथा Central Verge पर Strip Plantation की जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0– सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)

परियोजना का नामः– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल में मस्टखाल से शीलाडांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (5.450 कि0मी0) हेतु 2.275 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

एन0पी0वी0 जमा कराये जाने/वचन बद्वता का प्रमाण

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना में एन0पी0वी0 की देय धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोत्तरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढी हुई धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग की मॉग के अनुसार किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0– सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0– सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)

प्रपत्र–37 2.39

परियोजना का नाम	:–	जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के अंतर्गत टी02(ओ0डी0आर) मस्टखाल से सीलाडांडा मोटर मार्ग (5.450 किमी) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तानतरण प्रस्ताव।

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रायोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गई है।

कनिष्ट अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार,
पौड़ी गढवाल

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार,
पौड़ी गढवाल

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार,
पौड़ी गढवाल

(राजस्व उपनिरीक्षक)
KANTA PRASAD
REVENUE SUB INS
PATTI LWA TEHSIL LDN
GARHWAL

(तहसीलदार)
तहसीलदार
लैन्सडौन

एस० डी० एम०
लैन्सडौन (गढ़वाल)

16.2.15
(जिलाधिकारी
गढ़वाल(पौड़ी)

प्रपत्र–38 2.33

परियोजना का नाम	:–	जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के अंतर्गत टी02(ओ0डी0आर) मस्टखाल से सीलाडांडा मोटर मार्ग (5.450 किमी) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तानतरण प्रस्ताव।

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/ रख–रखाव के दौरान वन्य जीवों/ स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।

कनिष्ट अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार,
पौड़ी गढवाल

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार,
पौड़ी गढवाल

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार,
पौड़ी गढवाल

परियोजना का नाम :– जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के अंतर्गत टी02(ओ0डी0आर) मस्टखाल से सीलाडांडा मोटर मार्ग (5.450 किमी) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तानतरण प्रस्ताव।

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी तेल/रसौई गैस उपलब्ध कराये जाने प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसौई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।

कनिष्ट अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार,
पौड़ी गढवाल

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार,
पौड़ी गढवाल

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार,
पौड़ी गढवाल

Online payment history made by User Agency under CAMPA

▽ **Help**

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/11139/2015 Mastkhal to Sila Danda Motor Road	ROAD111392015577	6111139577	09 Oct 2019	**CA:** 1394716/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 1922375/- , **Other Charges :** 0/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 3317091/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 16 Nov 2019 **Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 18 Nov 2019 **Transaction Date** : 10 Dec 2019	Demand Letter Generated Challan

1·6 (VI)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Garhwal

No. 408/1/26-प्रशा०अधि० (सा० प्रशा०) Dated. 16-2-2015

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **2.275** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Rural Development Department** (name of user agency) for **Road construction** (purpose for diversion of forest land) in Pauri district falls within jurisdiction of **Seeladanda** village (s) in **Lansdowne** tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.275** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to 4 annexure.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

16.2.15

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)
(Chandra Shakher Bhatt)
District collector Garhwal

(57)

1.6 (VIII)

ANNEXURE.........................

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT GARHWAL (PAURI)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Pauri** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. Chandra Shakher Bhatt I.A.S deputy commissioner Garhwal on date 16-2-15 at time ...11:30...at **Pauri** in which application claiming rights in civil soyam area measuring **1.890** hect. And Van panchayat land area measuring **0.835** (0.385) hect. for the construction of **Mastkhal to Seeladanda Motor Road** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Lansdwone** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Garhwal (Pauri)
Dated:..16-2-15

16-2-15

(CHANDRA SHEKHER BHATT)
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee
Pauri Garhwal

जिलाधिकारी
गढ़वाल

1.6 (IX)

It is Further Certified that Minutes of Meeting of construction of Mastkhal to seeladanda Motor Road (5.450 KM) regarding FRA is as following :-

Ser. No.		Remark
(a)	The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA had been Carried out for the entire 2.275 hectares of forest area proposed for Diversion. A copy of record of all Consultations and meeting of the forest Right Committee(s), Sub Division Level Committee(s) are enclosed as annexure.	Yes Copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been Completed and the Gram Sabhas have been given consent to it.	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. No Objection Certificate concerned villages regarding construction of aforesaid construction of motor road is attached.
(c)	The Proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural Communities.	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.

जिला पंचायत सदस्य
जिला पंचायत सदस्य
बुराकी म्यौंसू (द्वारीखाल)
जिला पौड़ी गढ़वाल

जिला समाज कल्याण अधिकारी
जिला समाज कल्याण अधिकारी
पौड़ी

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग
लैन्सडौन

अधिशासी अभियन्ता
सि०ख० पी०एम०जी०एस०वाई०
कोटद्वार

16-2-15
(चन्द्रशेखर भट्ट)
जिलाधिकारी
पौड़ी (जिलाधिकारी
गढ़वाल

FRA 1.6 (I) प्रपत्र -: 30.3

~~प्रपत्र - 28~~

परियोजना का नामः—प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद- पौड़ी (गढ़वाल) में मस्ट खाल से शीला डाडा मोटर मार्ग किमी. 0.00 से 5.750 तक का निर्माण कार्य

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण- पत्र

ग्राम पंचायत का नाम...... शीला डाडा

तहसील...... लैंसडाउन...... जिला....... पौड़ी (गढ़वाल)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला पौड़ी (गढ़वाल) उत्तराखण्ड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद-पौड़ी में मस्ट खाल से शीला डाडा मोटर मार्ग किमी 0.00 से 5.750 परियोजना के निर्माण हेतु (........शून्य........हे0 आरक्षित वन भूमि 1.890 हे0 सिविल सोयम भूमि.....—.....हे0 वन पंचायत भूमि 0.385 .... हे0) अर्थात कुल 2.275 हे0 वन भूमि का ग्राम्य विकास ....विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एंव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत....... शीला डाडा......द्वारा दिनांक 23/11/2014 ....को सम्पन्न ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के संम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम......... शीला डाडा.......के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि .... 2.275 हेक्टर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

ग्राम सचिव
शीला डाडा
....गढ़वाल

किशोरा देवी
श्रीमती किशोरा देवी
...कार पाली
क्षेत्र ... पौडी गढवाल
विकास ... उत्तराखण्ड

ग्राम सभा शीला ... प्रधान ... बल्ली पट्टी लंगूर वल्ला-I
ह0 कल्पना देवी
दि0 23/11/2014

नोटः— यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

23/11/14 (कान्ताप्रसाद)
KANTA PRASAD
REVENUE SUB INS
... - TEHSIL ...

1.6 (II) 30.3

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील..
जनपद........

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी गढवाल को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील..
जनपद..

19 (iii) प्रपत्र - 30.4

प्रपत्र – 23.2

परियोजना का नामः– प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी (गढ़वाल) में मस्टखाल से थौला 3/37 मोटर मार्ग किमी0 0.00 से 5.750 किमी तक का निर्माण कार्य

कार्यालय उप जिलाधिकारी, लैंसडौन

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण– पत्र

सहायक अभियंता VI
पी०एम०जी०एस०वाई०सि०ख०
कोटद्वार (गढ़वाल)

उपखण्ड स्तरीय समिति, लैंसडौन

उपखण्ड लैंसडौन परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मस्टखाल से थौला 3/37 मोटर मार्ग (शून्य हे0 आरक्षित वनभूमि, 1.890 हे0 सिविल एंव सोयम — वनभूमि 0.385 हे0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 2.275 हे0 वनभूमि) का ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील लैंसडौन) की दिनांक 23-11-2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ...., उप जिलाधिकारी एंव अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री सोहन सिंह सैनी उपजिलाधिकारी .... अध्यक्ष
2– श्री धीरज धर बहुगुणा उप प्रभागीय वनाधिकारी .... सदस्य
3– श्री .... सहायक समाज कल्याण अधिकारी .... सदस्य / सचिव
4– श्री [illegible] देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र .... सदस्य

श्रीमती [illegible] देवी
क्षेत्र पंचायत सदस्य पौड़ी/पाली
विकास खण्ड द्वारीखाल पौड़ी गढ़वाल
उत्तराखण्ड

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड–द्वारीखाल

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुये उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद – पौड़ी (गढ़वाल) में मस्टखाल से थौला 3/37 मोटर मार्ग किमी0 0.00 से 5.750 किमी परियोजना हेतु 2.275 हे0 वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैंसडौन द्वारा अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुये जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/ आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/ पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड लैंसडौन परिक्षेत्र के मस्टखाल से थौला 3/37 मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 2.275 हे0 वन भूमि पी0एम0जी0एस0वाई0 प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

23/11/14 (कानूनगो)
KANTA PRASAD
REVENUE SUB INS.

16(iv)

प्रपत्र 30.5

~~प्रपत्र 23.1~~

दिनांक 23-11-2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत सीला डांडा

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	श्री धीरेन्द्र नैथानी	Dhirendra Naithani
2.	श्री सोहन लाल थपलियाल	[signature]
3.	श्री प्रेमचन्द जुगरान	[signature]
4.	श्री महीपाल सिंह	[signature]
5.	श्री शोभा राम	शोभाराम
6.	श्री सुन्दर लाल	सुन्दर लाल
7.	श्री गोवर्धन प्रसाद	गोवर्धन प्रसाद
8.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	
9.	श्री हेम चन्द	
10.	श्री सम्पूर्णानन्द	सम्पूर्णानन्द
11.	श्री विपिन प्रसाद जुयाल	
12.	श्री संदीप कोठारी	
13.	श्री धीरज मोहन कोठारी	
14.	श्री मथुरा प्रसाद	
15.	श्री भवानी शंकर	
16.	श्री सोहन लाल	
17.	श्री गोवर्धन जुगरान	

बिजोरा देवी
श्रीमती बिजोरा देवी
क्षेत्र पंचायत सदस्य क्यार पाली
विकास खण्ड [illegible] पौड़ी **गढ़वाल**
उत्तराखण्ड

प्रधान ग्राम सभा सीला डांडा
ह० कल्पना देवी
23/11/2014
[illegible] पट्टी लंगूर वल्ला

1.6 (IV)

प्रपत्र- 30.6

~~प्रपत्र — 23.3~~

परियोजना का नामः- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद- पौड़ी गढ़वाल में अस्टखाल से थलीसैण डांडा मोटर मार्ग कि.मी. 0.00 से कि.मी. 5.750 तक का निर्माण कार्य

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण- पत्र

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित अस्टखाल से थलीसैण डांडा मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 2.275 हे0 वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष, उत्तराखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति थलीसैण तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नही हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

16.2.15

जिलाधिकारी

जिलाधिकारी
गढ़वाल(पौड़ी)

नोट– वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वाछिंत समस्त सूचनायें प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

पत्रांक सं0......982........
दि0 ...29/06/22.........

Phone & Fax no. 0135-2658294 E-mail: cfshlwallk@yahoo.co.in

कार्यालय वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक- 3256 / 12-1 दिनांक, देहरादून, 23 जून 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में मस्तखाल से सीलाडाण्डा मोटर मार्ग के नवीनीकरण हेतु (5.450 कि0मी0) हेतु 2.275 है0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन के संबंध में।

संदर्भ : भारत सरकार का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/15/2019/एफ0सी0/245 दिनांक 04.06.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव पर लगाई गई बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी, भू0सं0 वन प्रभाग, लैन्सडौन के पत्रांक 2043/12-1 दि0 21.05.2022 से प्राप्त सूचना के आधार पर निम्न प्रकार प्रेषित किया जा रहा है –

क्र0	आपत्ति	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्ते	निस्तारण
01	In Complince to condition No. 01 & 02, document in support of mutation and transfer of CS land earmarked for CA in favour of forest department have not been submitted.Moreover no action appears to have been intiated for declaration of proposed CA area as RF/PF so far. Which is required to be done prior to final approval.	बिन्दु सं0-1 वन विभाग द्वारा प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि के दुगुने वन भूमि पर अर्थात 4.550 है0 ग्राम-सीलाडांडा सि0सो0 भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत प्रदान की जायेगी।'	प्रस्ताव विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि ₹ 1394716/- एवं एन0पी0वी0 की धनराशि ₹ 1922375/- अर्थात कुल ₹ 3317091/- कैम्पा फण्ड में ऑनलाईन जमा कर दी गयी है (प्रति संलग्न) तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक सि0सो0 भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जा चुका है। (प्रति संलग्न)
		बिन्दु सं0-2 Guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है, को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी, गढ़वाल के आदेश सं0-1814/26-प्रशा0अधि0(सा0प्रशा0)/2018 दिनांक 02.06.2018 से वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित सिविल भूमि को शासनादेश सं0-1566/14-2-97-800(11)/1997 दिनांक 17.03.1997 के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 3212/12-1 दिनांक 17.06.2022 से जारी प्रमाण पत्र संलग्न है। (मूल प्रति संलग्न)
02	State Government may submit document/undertaking in compliance to condition no. 06 & 07 of in-principal approval.	सड़क निर्माण कार्य के पश्चात जहाँ-जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जायेगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
		राज्य सरकार Geologist report, एवं डी0एफ0ओ0 द्वारा प्रमाणित संयुक्त निरीक्षण की मूल प्रति उपलब्ध करायें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तुत वांछित अभिलेखों की प्रति संलग्न है।

अतः कृपया उपरोक्तानुसार प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

Manoj
28/06/2022

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ0 धीरज पाण्डेय)
मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, देहरादून।

P.T.O.

पत्रांक :-3256/12-1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को उपरोक्त क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 3212/12-1 दि0 17.06.2022 से जारी प्रमाण पत्र की मूल प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडौन।
2. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0-सिंचाई खण्ड, कोटद्वार।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार मूल में।

(डॉ0 धीरज पाण्डेय)
मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, देहरादून।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौडी गढवाल के अन्तर्गत **गरटखाल से सीलाडांडा मोटर मार्ग** के निर्माण हेतु **4.550 है0** वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किया जाना है। उपरोक्त कार्य हेतु ग्राम–सीला डांडा, पट्टी– लंगूरवल्ला, तहसील–. **लैन्सडौन, जिला पौडी गढवाल के नॉन0जेड0ए0 श्रेणी 9(3)ख झाडी दर्ज अभिलेख, खाता सं0 07 के खसरा नं0 – 934 रकबा 8.043है0 मध्ये 4.550है0** भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु **जिलाधिकारी गढवाल के पत्र सं0 आर–1814/26– प्रशा0अधि0(सा0प्रशा0)/2018 दिनॉक पौडी जून 2, 2018 के द्वारा** वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी है। अधिसूचना सं0 869/F/638 दिनॉक 17.10.1893 तथा उत्तर प्रदेश शासन की पत्र सं0 1566/14–2–97–800 (II)/1997 दिनॉक 17.03.1997 के अन्तर्गत यह भूमि संरक्षित वन है। उक्त भूमि का नामान्तरण आदेश राजस्व विभाग से वन विभाग के पक्ष में कर दिया गया है। इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है। जिसे पुनः संरक्षित वन घोषित किये जाने की आवश्यकता नही है।

वन संरक्षक
शिवालिक वृत्त
उत्तराखण्ड, देहरादून

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण, वन प्रभाग
लैन्सडौन (गढवाल)

कार्यालय वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून उत्तराखण्ड

पत्रॉकः– 3212/12-1 **दिनॉकित, देहरादून** 17.जून **2022**

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1.– अपर प्रमुख वनसंरक्षक /क्षेत्रीय अधिकारी, (उत्तर मध्य क्षेत्र), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, 25 सुभाष रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. – प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. – प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. – अपर प्रमुख वनसंरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. – मुख्य वन संरक्षक, गढवाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. – जिलाधिकारी पौडी गढवाल।
7. – अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0–सिंचाई खण्ड कोटद्वार।
8. – गार्ड बुक।

वन संरक्षक
शिवालिक वृत्त
उत्तराखण्ड, देहरादून

Online payment history made by User Agency under CAMPA

▽ Help

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (In Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/11142/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/11142/2015) Naudkhal Malakota Road to Sirasu M R	ROAD111422015408	6111142408	29 Apr 2020	CA: 5948600/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 38635980/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 44584580/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 15 Jul 2020 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 16 Jan 2021 Transaction Date : 21 Jan 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/71114121012231 Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?
2	FP/UK/ROAD/8123/2014 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/8123/2014) Construction of Naugoan Bukundi Motor Road Km 15.00 to 21.00	ROAD81232014278	6181230278	26 Feb 2020	CA: 3277428/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 3193020/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 6470448/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 30 Jun 2020 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 01 Jul 2020 Transaction Date : 08 Oct 2020	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/61129124912161 Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?
3	FP/UK/ROAD/11139/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/11139/2015) Mastkhal to Sila Danda Motor Road	ROAD111392015577	6111139577	09 Oct 2019	CA: 1394716/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 1922375/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 3317091/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 16 Nov 2019 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 18 Nov 2019 Transaction Date : 10 Dec 2019	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/11111512151210DAFS1shiladan Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?
4	FP/UK/ROAD/24764/2017 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/24764/2017) Dwarikhal to Barsuri	ROAD247642017427	6124764427	07 Mar 2019	CA: 1300918/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 1394154/- , 0 : 0/- 0 : 0/- 0 : 0/- 0 : 0/- Total : 2695072/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 29 May 2019 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 30 May 2019 Transaction Date : 12 Jun 2019	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/5112212321211N Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?
5	FP/UK/ROAD/11141/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/11141/2015) T02 (ODR) to Manjokhi MR	ROAD111412015508	6111141508	17 Dec 2018	CA: 3153930/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 4781855/- , No : 0/- No : 0/- No : 0/- No : 0/- Total : 7935785/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 15 Mar 2019 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 01 Apr 2019 Transaction Date : 02 Apr 2019	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/31114122812110 Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0– सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)

Tel:- 01382-2224570
Fax:- 01382-2229847
E-mail Id:- eepmgsykotdwara@rediffmail.com

पत्रांक 366/पी0एम0जी0एस0वाई0– सिंचाई खण्ड दि0 17/05/2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग
लैन्सडौन

विषयः– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल में मस्टखाल से सीलाडांडा मोटर मार्ग के नवीनीकरण हेतु (5.450 कि0मी0) हेतु 2.275 है0 वनभूमि ऑनलाईन प्रस्ताव सं0 (FP/UK/ROAD/11139/2015)

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0 08बी0/यू0सी0पी0/06/15/2019/एफ0सी0/1517 दिनॉक 09.10.2019, पत्रॉक 08बी0/यू0सी0पी0/06/15/2019/एफ0सी0/245 दिनॉक 04.06.2020, इस कार्यालय के पत्रॉक 1190/दिनॉक 16.01.2020 एवं 217/पी0एम0जी0एस0वाई0–सिंचाई खण्ड दिनॉक 30.03.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0 08बी0/यू0सी0पी0/06/15/2019/एफ0सी0/1517 दिनॉक 09.10.2019 के द्वारा मास्टखाल सीलाडांडा मोटर मार्ग पर सैदान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई थी। सैदान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तो का अनुपालन करते हुये इस कार्यालय के पत्रॉक सं0 1190/दिनॉक 16.01.2020 के द्वारा संलग्नको सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु आपके कार्यालय को प्रेषित किया गया था।

तत्पश्चात् भारत सरकार के द्वारा अपने पत्रॉक 08बी0/यू0सी0पी0/06/15/2019/एफ0सी0/245 दिनॉक 04.06.2020 में 2 आपत्तियॉ दर्ज की गयी। जिसका निस्तारण इस कार्यालय के पत्रॉक 217/पी0एम0जी0एस0वाई0–सिंचाई खण्ड दिनॉक 30.03.2022 के द्वारा संलग्नको सहित करते हुये अग्रिम कार्यवाही हेतु आपके कार्यालय को प्रेषित किया गया था।

अतः सुलर्भ संदर्भ हेतु सैदान्तिक स्वीकृति में अधोरोपित शर्तो एवं आपत्तियो के निस्तारण की सत्यापित छायाप्रतियॉ 2 प्रतियों में पुनः संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0– सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)

पत्रांक 366/ पी0एम0जी0एस0वाई0– सिंचाई खण्ड तद्दिनॉक
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– 1.– अपर प्रमुख वनसंरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून। संलग्न :– उपरोक्तानुसार 2 प्रतियों में।
2. वन संरक्षक शिवालिक वृत्त उत्तराखण्ड देहरादून।
3. जिलाधिकारी पौडी गढवाल।

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
उत्तराखण्ड (देहरादून)
18-5-2022
प्राप्त किया ह0

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0– सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)